

उत्तर प्रदेश शासन,
नगरीय रोज़गार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग।

संख्या: /69-1-97-1 (एस.सी.एस.)/96 लखनऊ : 10 अप्रैल, 1997
कार्यालय ज्ञाप

सिर पर मैला ढोने की कुप्रथा को समाप्त करने तथा इस व्यवसाय से जुड़े स्वच्छकारों को मुक्ति दिलाकर वैकल्पिक व्यवसायों में लगाने के प्रयोजन से केन्द्र-पुरोन्धानित “स्वच्छकार विमुक्ति योजना” का कार्यान्वयन प्रदेश के विभिन्न जनपदों/नगरों में किया जा रहा है। इसी उद्देश्य से इस महत्वपूर्ण एवं जन-कल्याणकारी योजना की समीक्षा बैठक शासन स्तर पर प्रत्येक माह की 20 तारीख को नियमानुसार आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। गत बैठक दिनांक 20.3.97 को आयोजित की गयी थी तथा बैठक में यह निर्णय लिया गया कि स्वच्छकार विमुक्ति योजना के अन्तर्गत किसी एजेन्सी को नोडल एजेन्सी के रूप में नामित करने पर विचार किया जाय। अतः शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त “सुलभ इण्टरनेशनल रवय सेवी संस्था” को सूडा/झूडा द्वारा कार्यान्वित स्वच्छकार विमुक्ति योजना के अन्तर्गत कार्यदायी/नोडल एजेन्सी नामित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।

सुबोध नाथ ज्ञा
प्रमुख सचिव।

संख्या: 689(1)/69-1-97(एल.सी.एस.)/96, तददिनांक

- (1) उक्त आदेशों की प्रतिलिपि निदेशक, राज्य नागर विकास अभिकरण, उ.प्र. नवघेतना केन्द्र, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेशों का प्रसारण अपने स्तर से सूडा/झूडा के संबंधित अधिकारियों को करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत करायें।
- (2) डॉ. ए.के. पाठक, चेयरमैन, सुलभ इण्टरनेशनल/नामित नोडल एजेंसी, उ.प्र. लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (3) गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(सुबोध नाथ ज्ञा)
प्रमुख सचिव।